कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/नि.प्र./नियु–2/986/टीजीटी–16/समकक्षता समिति/17–18 दिनांक :– 13-7-18

–:: कार्यालय आदेश ::–

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 (संशोधित) लेवल द्वितीय के अंग्रेजी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरान्त विभिन्न जिला परिषदों से इस कार्यालय को यह सूचना भिजवाई गई की कुल 107 अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय उपलब्ध करवाई गई स्नातक उत्तीर्ण की अंकतालिका में अंग्रेजी वैकल्पिक (Optional) विषय के रूप में उत्तीर्ण नहीं होकर इनकी अंकतालिकाओं में केवल अंग्रेजी अंकित किया हुआ है। जिसके कारण ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई एवं प्रकरणों को पुनः निरीक्षण हेतु लम्बित रखा गया।

इस प्रकार के प्रकरणों को लम्बित रखे जाने के कारण विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर एवं जोधपुर में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेश में यह निर्देश प्रदान किये गये कि विभाग स्तर पर ऐसे प्रकरणों का विशेषज्ञ समिति द्वारा परीक्षण करवाकर अभ्यर्थियों की अंग्रेजी लेवल द्वितीय हेतु पात्रता का निर्धारण करवाया जावें। समकक्षता निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 12–05–2018 में मुख्यतः यह विचारणीय बिन्दु रहा कि *"तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी की सीधी भर्ती में विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अंकतालिकाओं में अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन करने का उल्लेख नहीं है, इनकी अंकतालिकाओं में केवल अंग्रेजी अंकित है, राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों से प्रदत्त स्नातक की इस प्रकार की अंकतालिकाएं जिनमें स्नातक के तीनों वर्षों में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में अध्ययन करवाया गया है क्या इसे वैकल्पिक विषय के रूप में मान्य किया जा सकता है ?"*

उक्त क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद की योग्यता/अर्हता एवं अन्य प्रकार के पाठ्यक्रम तथा डिग्री की समकक्षता व समतुल्यता के निर्धारण हेतु राज्य सरकार के पत्रांक प.5(34)प्राशि/2015 जयपुर दिनांक 02–04–2018 समकक्षता निर्धारण समिति का गठन किया गया। निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर की अध्यक्षता में गठित समकक्षता निर्धारण समिति की दिनांक 12–06–2018 को शिक्षा संकुल जयपुर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित विषय विशेषज्ञ/ अधिकारी उपस्थित हुए :–

1. डा. अनिल कुमार जैन, सेवानिवृत्त प्रोफेसर (हिन्दी) राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।
2. डा. संजय अरोड़ा, ऐसोसियेट प्रोफेसर (अंग्रेजी) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अजमेर।
3. डा. तनुजा माथुर, विभागाध्यक्ष (अंग्रेजी) राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।
4. ड. आशीष सिसोदिया, प्रभारी एवं सहायक आचार्य (हिन्दी) मो.ला.सु.वि.वि. उदयपुर।
5. डा. रामगोपाल शर्मा, रीडर राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर।
6. डा. रोहताश कुमार, प्रधानाचार्य (अंग्रेजी) सार्दुल स्पोर्टस स्कुल बीकानेर। प्रतिनिधि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. श्रीमती आद्या बोहरा, रीडर राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर।
8. श्रीमती आशा पारीक व्याख्याता (हिन्दी) रा.क.मे.बा.उ.मा.वि., जयपुर।

विभाग द्वारा उक्त बैठक में समिति के समक्ष राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 (संशोधित) लेवल द्वितीय अंग्रेजी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई अंकतालिकाएं एवं अन्य दस्तावेज तथा राज्य के बाहर की संबंधित विश्वविद्यालय से डाउनलोड किये गये पाठ्यक्रम तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न विश्व विद्यालयों के पाठ्यक्रमों, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग एवं संबंधित विश्व विद्यालय के पत्रों, संबंधित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों के विस्तृत अध्ययन व विचार उपरान्त उक्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया स्नातक स्तर पर अध्ययन किये गये Compulsory/ Genral/ Foundation Subjects को Elective/ Optional Subject के समान नहीं माना जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी (ऐच्छिक/Elective/ Additional/ Honours) के रूप में अध्ययन किया है वे अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल द्वितीय अंग्रेजी हेतु पात्र है एवं जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी (अनिवार्य/General/ Foundation) के रूप में अध्ययन किया है ना कि वैकल्पिक विषय (Optional) के रूप में, ऐसे अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी अध्ययपक भर्ती लेवल द्वितीय अंग्रेजी हेतु अपात्र है।

अतः समकक्षता निर्धारण समिति के अभिमत के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर अंग्रेजी (ऐच्छिक/Elective/ Additional/ Honours) के रूप में अध्ययन किया है वे अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल द्वितीय अंग्रेजी हेतु पात्र है एवं जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी (अनिवार्य/General/ Foundation) के रूप में अध्ययन किया है, ऐसे अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल द्वितीय अंग्रेजी हेतु अपात्र है।

13/7/19

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर
2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, संबंधित .... को प्रति प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 (संशोधित) लेवल द्वितीय के अन्तर्गत उक्त प्रकार के लम्बित प्रकरणों का समिति के अभिमत के अनुसार निस्तारण करवावें।
3 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, विधि जयपुर/ जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त ....
5 संबंधित अभ्यर्थी श्री ....

13/7

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर